

स्वच्छता की बुनियाद मध्यप्रदेश में रतलाम हुआ पुरस्कृत

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने पुरस्कार प्राप्त किया

रतलाम नगर को एमआरएफ में द्वितीय व कम्पोस्ट प्लांट में मिला तीसरा स्थान

रतलाम 23 सितम्बर । प्रशासनिक अकादमी भोपाल में आयोजित स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला एवं स्वच्छता की बुनियाद अभियान कार्यक्रम में रतलाम नगर निगम को एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) में द्वितीय व कम्पोस्ट प्लांट (गीले कचरे से खाद) के क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त किया ।

आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी व नगरीय विकास ने रतलाम नगर निगम को प्रदेश में एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) क्षेत्र में द्वितीय व कम्पोस्ट प्लांट (गीले कचरे से खाद) के क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को शील्ड व प्रमाण—पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया ।

स्वच्छता की बुनियाद मध्यप्रदेश में रतलाम नगर निगम को एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) क्षेत्र में द्वितीय व कम्पोस्ट प्लांट (गीले कचरे से खाद) के क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर नगर के नागरिकों व नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है ।

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि भी उपस्थित थे ।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 23 सितम्बर को 94 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 23 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर—घर से पृथक—पृथक एकत्रित किया जा रहे हैं गीले—सूखे कचरे व सड़कों व नाले—नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 23 सितम्बर गुरुवार को 94 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया ।

23 सितम्बर गुरुवार को डम्पर से 47625, ट्रेक्टर 6005 व काम्पेक्टर सूखा कचरा 40605 किलो इस तरह कुल 94235 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया ।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

रतलाम 23 सितम्बर । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कर 8 आश्रय स्थलों की स्थापना की है ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412—270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8—8 घन्टे की शिफ्ट में डयूटी लगाई ।

इसके अलावा अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो००९०९०९३००८८५५०४, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो० ९६२९६४७२११, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो० ९९०७४५४४५६, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो०

नं० 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो० नं० 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो० नं० 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र विरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो० नं० 9644000433 को नियुक्त किया गया है ।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रत्नाम 23 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये ।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें ।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रत्नाम 23 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रुट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बज तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मषीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है ।

1261 हितग्राही पीएम स्वनिधि के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रत्नाम 23 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रत्नाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रुपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2696 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें

से 1549 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 1241 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 24 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी राशि रूपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है वे जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूँजी राशि रूपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 23 सितम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी ।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी ।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 23.09.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.